



छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), रायपुर

प्रकरण क्रमांक—M-PRO-2026-03577

— समक्ष —

श्री संजय शुक्ला, अध्यक्ष,
श्री धनंजय देवांगन, सदस्य,

डॉ. मंजु गोस्वामी, पिता—श्री महेश पुरी गोस्वामी,
पता—ए-30, अमलतासपुरम कॉलोनी,
रुद्री रोड, जिला—धमतरी (छ.ग.)

..... आवेदिका

विरुद्ध

संपदा अधिकारी,
द्वारा—छ.ग. गृह निर्माण मण्डल,
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र, धमतरी
पता—परिजित हाईट्स हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,
हटकेशर, जिला—धमतरी (छ.ग.)

..... अनावेदक

उपस्थिति :-

(1) सुश्री शाहीन अली, अधिवक्ता वास्ते अनावेदक।

(प्रोजेक्ट—“अटल विहार योजना, पोटियाडीह”, जिला—धमतरी)

रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर—PCGRERA150219000925

आदेश

(दिनांक—13/08/2026)

आवेदिका डॉ. मंजु गोस्वामी, पिता—श्री महेश पुरी गोस्वामी, पता—ए-30, अमलतासपुरम कॉलोनी, रुद्री रोड, जिला—धमतरी (छ.ग.) के द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-31 एतद् पश्चात् अधिनियम एवं छ.ग. भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 एतद् पश्चात् नियम की कंडिका-35 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप-ड (FORM-M) में आवेदन कर अनावेदक के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई है। आवेदिका का कथन है कि भवन बुकिंग के समय विभाग के सहायक अभियंता/उप-अभियंता के द्वारा बताया गया था कि भवन का निर्माण कार्य 15 से 18 माह में पूर्ण हो जाने के पश्चात् आधिपत्य प्रदान कर दिया जायेगा तथा भवन के क्रय मूल्य का भुगतान भवन के निर्माण के विभिन्न चरणों स्तर अनुसार किश्तों में देय होता है। भवन के निर्माण के अनुसार अर्थात् भवन के भौतिक प्रगति के आधार पर किश्तों का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुरूप क्रेता भवन के क्रय मूल्य का भुगतान लोन एवं अन्य माध्यमों से वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। परन्तु आबंटन दिनांक 01.04.2024 से लेकर

लगभग दो वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी भवन का निर्माण कार्य अधूरा है। जबकि भवन के देय मूल्य रुपये 26,10,000/- में से रुपये 23,10,000/- का भुगतान कर देने अर्थात् 88.50 प्रतिशत भुगतान के विरुद्ध भवन की भौतिक प्रगति लगभग 60 से 65 प्रतिशत तक ही हुई है, इसके बावजूद भुगतान में विलंब हुआ मान कर दिनांक 03.03.2026 की स्थिति में विलंबित अवधि का ब्याज रुपये 20,038/- और उस पर जी.एस.टी. 3,607/- कुल मिलाकर 23,645/- रुपये का नाजायज मांग किया जा रहा है। अतएव हो कि प्राधिकरण परिवाद दिनांक 23.03.2026 की स्थिति में आबंटित भवन के छत की ढलाई का काम नहीं हुआ था और मण्डल द्वारा भुगतान में विलंब हुआ माना जा रहा है। मंडल के सूचना पत्र दिनांक 27.05.2026 द्वारा मूल बकाया राशि रुपये 01 लाख + विलंबित अवधि का ब्याज 23,322/- + जी.एस.टी. 18 प्रतिशत 4,198/- कुल जमा योग्य राशि 1,27,520/- का मांग किया जा रहा है। जबकि आवेदिका द्वारा दिनांक 19.05.2026 की स्थिति में भवन के संपूर्ण क्रय मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। मण्डल द्वारा इसी तरह जमा रकम को बकाया मान कर उस पर पूर्व में भी ब्याज और उस पर जी.एस.टी. की गणना की जाती रही है, इसलिये बकाया राशि बढ़ते जा रहा है, जो कि अनुचित है। मण्डल द्वारा तय समय सीमा में भवन का निर्माण पूरा नहीं किया गया है और अनुचित रूप से ब्याज इत्यादि की मांग कर बकाया दिखाया जा रहा है। निर्माण में विलंब के कारण आवेदिका पर बैंक ब्याज एवं मकान किराया के रूप में दोहरा नुकसान हो रहा है, जिसके लिये मण्डल से अनुचित मांग को शून्य करते हुये आवेदिका को क्षतिपूर्ति दिलायी जावे। निर्माणकर्ता ठेकेदार फर्म एवं मण्डल के मध्य हुये अनुबंध में निर्माण कार्य में विलंब के लिये ठेकेदार फर्म पर अर्थदंड का प्रावधान होता है, ऐसी दशा में निर्माण कार्य में विलंब के लिये मण्डल स्वयं जिम्मेदार है। अतः आवेदिका द्वारा प्राधिकरण से अनुतोष की याचना की गई है। दिनांक 15.06.2026 की स्थिति में आरोपित विलंबित अवधि का ब्याज 23,322/- और उस पर जी.एस.टी. 4,198/- कुल मिलाकर रुपये 27,520/- का शून्य करते हुये आवेदिका को रुपये 51,000/- क्षतिपूर्ति राशि दिलायी जाये।

2. प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक को उक्त शिकायत के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने बाबत् रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित कर सूचित किया गया। उन्हें ई-मेल के द्वारा भी नोटिस एवं दस्तावेज प्रेषित किये गये।
3. अनावेदक द्वारा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया गया है कि छ.ग. गृह निर्माण मण्डल प्रक्षेत्र धमतरी अंतर्गत अटल विहार योजना ग्राम-पोटियाडीह, जिला-धमतरी का रेरा पंजीकरण क्रमांक-PCGRERA150219000925 है। अटल विहार योजना, पोटियाडीह, जिला-धमतरी

फेस-4 में प्रस्तावित भवनों को स्व-वित्तीय योजना आधार का क्रय करने हेतु विज्ञापन का प्रकाशन दिनांक 11.06.2023 को समाचार पत्र दैनिक भास्कर में किया गया। तदनुसार प्रश्नाधीन भवन क्रमांक-सीनियर एम.आई.जी.-12 का विक्रय मूल्य रुपये 26,10,000/- निर्धारित था। सीनियर एम.आई.जी. मकान को क्रय करने हेतु आवेदिका द्वारा दिनांक 23.02.2024 को पंजीयन आवेदन पत्र क्रय कर सीनियर एम.आई.जी. भवन हेतु स्ववित्तीय योजना पर भवन मूल्य का 10 प्रतिशत निर्धारित पंजीयन राशि रुपये 2,61,000/- भारतीय स्टेट बैंक शाखा-धमतरी के चेक क्रमांक-707938 के माध्यम से दिनांक 06.03.2024 को मण्डल खाता में भुगतान किया गया। भवन के पंजीयन आवेदन पत्र में उल्लेखित शर्तों की कंडिका-01 से 24 तक पालन करने हेतु आवेदिका द्वारा दिनांक 06.03.2024 को हस्ताक्षर कर स्वीकृत किया गया है। उक्त योजना में प्रस्तावित भवनों का पंजीयन मण्डल नियमानुसार प्राप्त होने के उपरांत पंजीकृत 03 नग जुनियर एम.आई.जी., 20 नग सीनियर एम.आई.जी., 13 नग जुनियर एम.आई.जी. एवं 48 नग ई.डब्ल्यू.एस इस प्रकार कुल 84 नग मकानों के निर्माण कार्य हेतु प्रखर समाचार व देशबंधु में दिनांक 08.03.2024 एवं नई दुनिया समाचार पत्र में दिनांक 09.03.2024 को निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशित किया गया। निविदा प्रकाशित होने के उपरांत अपर आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 08.08.2024 के माध्यम से प्राप्त न्यूनतम दर पर निविदाकार मेसर्स रघुवंश चन्द्रकार, अ वर्ग ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दर को स्वीकृति प्रदान किया गया। भवन का स्ववित्तीय आधार पर आबंटन आदेश जारी करने के लिये किश्त का भुगतान की तालिका छ.ग. गृह निर्माण मण्डल संभाग/उप-संभाग धमतरी दिनांक 17.09.2024 द्वारा जारी किया गया। किश्त राशि जमा करने हेतु भुगतान तालिका प्राप्त होने के उपरांत छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र-धमतरी के पत्र दिनांक 30.09.202 के माध्यम से भवन क्रमांक-सीनियर एम.आई.जी.-12 का स्ववित्तीय आधार पर आबंटन आदेश तथा पत्र दिनांक 30.09.2024 के माध्यम मकान ऋण लेने हेतु प्रमाण पत्र संबंधित को जारी किया गया। आवेदिका को किश्त भुगतान हेतु जारी तालिका निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विवरण	किश्त देय तिथि	किश्त राशि
01.	प्रथम किश्त	29.11.2024	4,69,800 / -
02.	द्वितीय किश्त	28.02.2025	4,69,800 / -
03.	तृतीय किश्त	30.05.2025	4,69,800 / -
04.	चतुर्थ किश्त	29.08.2025	4,69,800 / -
05.	पंचम किश्त	28.11.2025	4,69,800 / -
		कुल राशि	23,49,000 / -

आवेदिका द्वारा भवन क्रमांक-सीनियर एम.आई.जी. -12 के मद में भुगतान की गई किश्त राशि की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विवरण	भुगतान तिथि	जमा राशि
01.	प्रथम किश्त	19.11.2024	4,69,800 / -
02.	द्वितीय किश्त	03.03.2025	2,00,000 / -
		27.03.2025	2,69,800 / -
03.	तृतीय किश्त	29.05.2025	4,69,800 / -
04.	चतुर्थ किश्त	16.10.2025	4,69,800 / -
05.	पंचम किश्त	05.03.2026	1,69,800 / -
		12.05.2026	1,00,000 / -
		19.05.2026	2,00,000 / -
		कुल राशि	23,49,000 / -

भवन क्रमांक-सीनियर एम.आई.जी.-12 के आवेदिका द्वारा किश्त भुगतान तालिका अनुसार निर्धारित देय तिथियों में किश्त का भुगतान नहीं करने के कारण मण्डल नियमानुसार आवेदिका को विलंबित अवधि का ब्याज/जी.एस.टी. राशि का भुगतान करने हेतु छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र धमतरी के पत्र दिनांक 08.05.2025, पत्र दिनांक 18.09.2025, पत्र दिनांक 23.01.2026 पत्र दिनांक 03.03.2026 पत्र दिनांक 28.04.2026 एवं पत्र दिनांक 27.05.2026 के माध्यम से सूचना पत्र प्रेषित किया गया। आवेदिका द्वारा इंडियन बैंक, शाखा धमतरी में संधारित बैंक खाता में किश्त राशि 1,00,000/- दिनांक 12.05.2026 को स्वयं जमा कर मण्डल कार्यालय में सूचित नहीं किया गया, जिसके कारण मकान के लेजर खाता में रुपये 1,00,000/- दर्शित नहीं होने के कारण आवेदिका को मांग पत्र प्रेषित किया गया। आवेदिका द्वारा भवन के मद में अंतिम किश्त राशि रुपये 2,00,000/- दिनांक 19.05.2026 को मण्डल खाता में जमा किया जा चुका है। मण्डल द्वारा मकानों के हितग्राहियों को भवन के मद में बकाया/ब्याज राशि जमा करने हेतु मण्डल नियमानुसार समय-समय पर पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है।

आवेदिका द्वारा शिकायत किया गया है कि भवन क्रमांक-सीनियर एम.आई.जी.-12 के निर्माण कार्य में विलंब या आधिपत्य देने में मण्डल द्वारा विलंब किया गया है, जिसके जवाब स्वरूप आवेदिका के द्वारा दिनांक 31.01.2025 को अनुरोध पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया था कि सीनियर एम.आई.जी.-12 का नक्शा वास्तुसम्मत नहीं है, अतः भवन का फेस बदल निर्माण कार्य किया जाये, जिसके कारण आवेदिका के निवेदन एवं इच्छा के अनुरूप उनके आवेदन के आधार पर मण्डल द्वारा भवन क्रमांक-सीनियर एम.आई.जी.-12 के निर्माण कार्य में आंशिक परिवर्तन/संशोधन किया गया, जिससे भवन क्रमांक-सीनियर एम.आई.जी.-12 के निर्माण कार्य में विलंब हुआ, जबकि छ.ग. गृह निर्माण मण्डल की मंशा सदैव ग्राहक

को उच्च गुणवत्ता की सेवा प्रदान करने की थी। इसके साथ ही आबंटिती का निवास स्थल वर्तमान में अमलतासपुरम में भी है, जिसके कारण उनके पास रहने की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध है एवं उन्होंने यह भवन क्रमांक—सीनियर एम.आई.जी.—12 निवेश के उद्देश्य से क्रय किया गया है।

आवेदिका द्वारा यह भी शिकायत की गई है कि उन पर अत्यधिक ब्याज अधिरोपित किया गया है। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि आवेदिका द्वारा ब्याज राशि माफ करने हेतु पूर्व में आबंटन आदेश दिनांक 30.09.2024 के अनुसार देय किश्त तिथियों को भवन के निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति के आधार पर एवं स्थल पर विभिन्न कारणों से प्रगति नहीं होने के कारण पुनरीक्षित करने हेतु सक्षम अधिकारी उपायुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल वृत्त—दुर्ग द्वारा पत्र दिनांक 19.06.2026 के माध्यम से अनुमोदन करने के उपरांत किश्त भुगतान की तिथियों को पुनः निर्धारित किया गया है, जिससे विलंबित अवधि का ब्याज एवं जी.एस.टी. राशि स्वतः विलोपित हो गया है। भवन की पुनरीक्षित किश्त भुगतान तालिका के संबंध में छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र धमतरी के पत्र दिनांक 24.06.2026 के माध्यम आवेदिका को सूचित किया जा चुका है। इस कथन के समर्थन में संबंधित अनुमोदन पत्र दिनांक 19.06.2026 एवं लिखित जवाब संलग्न है। छ.ग. गृह निर्माण मण्डल के द्वारा अटल विहार योजना फेस—04 में भवन क्रमांक—सीनियर एम.आई.जी.—12 का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है, जिसकी विधिवत् रजिस्ट्री कराकर मण्डल नियमानुसार लगभग 02 माह के भीतर हस्तांतरण कर दिया जायेगा। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत पूर्णतः आधारहीन है। चूँकि भवन क्रमांक—सीनियर एम.आई.जी.—12 का किश्त भुगतान तालिका पुनरीक्षित होने के कारण विलंबित अवधि का ब्याज एवं जी.एस.टी. राशि स्वतः ही शून्य हो गया है एवं आवेदिका द्वारा अनावश्यक छ.ग. गृह निर्माण मण्डल का कार्यालयीन समय बर्बाद किया गया है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत शिकायत निराधार होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है।

4. उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं जवाबदावा, दस्तावेज के अवलोकन तथा प्रस्तुत तर्क का परिशीलन किये जाने के उपरांत प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार विनिश्चय के बिंदु निर्धारित किये जाते हैं:—
 1. क्या प्राधिकरण को प्रकरण में विचारण क्षेत्राधिकार है?
 2. क्या आवेदिका का आवेदन समय—सीमा के भीतर है?
 3. क्या आवेदिका को वांछित अथवा किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्रदान किये जा सकते हैं, यदि हाँ, तो अनुतोष की मात्रा एवं उसका स्वरूप किस प्रकार होगा।

5. **विनिश्चय के बिंदु क्रमांक-01 के विनिश्चयन का आधार :-** “अटल विहार योजना पोटियाडीह”, जिला-धमतरी प्राधिकरण में पंजीयन क्रमांक-PCGRERA150219000925 द्वारा पंजीकृत एक भू-संपदा प्रोजेक्ट है, जिसका अनावेदक संप्रवर्तक है एवं आवेदिका उक्त भू-संपदा प्रोजेक्ट में सीनियर एम.आई.जी-12, जिसका विक्रय मूल्य 26,10,000/- रुपये निर्धारित था, के लिए आंशिक प्रतिफल 23,10,000/- रुपये भुगतान करते हुए आबंटिती है। आवेदिका द्वारा अनावेदक के विरुद्ध अधिनियम की धारा-31, नियम-35 के अधीन परिवाद प्रस्तुत किया गया है कि नियत समयावधि में भू-संपदा का निर्माण करते हुए अनावेदक द्वारा भू-संपदा का हस्तांतरण नियमानुसार आवेदक के पक्ष में करते हुए आधिपत्य प्रदान नहीं किया गया है, जिसके कारण प्राधिकरण द्वारा अनावेदक द्वारा आवेदिका पर अधिरोपित विलंबित अवधि का ब्याज और जी.एस.टी. को शून्यवत् करते हुए क्षतिपूर्ति दिलाई जाए, जिसका प्रतिवाद अनावेदक द्वारा किया गया है। स्पष्ट है कि उभय पक्ष के मध्य आबंटिती एवं संप्रवर्तक का अंतरसंबंध है। प्रतिफल एवं आधिपत्य व भू-संपदा हस्तांतरण को लेकर विवाद की स्थिति है। अस्तु प्राधिकरण को विचारण क्षेत्राधिकार है एवं आवेदन निराकरण की अधिकारिता है।
6. **विनिश्चय के बिंदु क्रमांक-02 के विनिश्चयन का आधार :-** चूँकि अनावेदक द्वारा 88.5 प्रतिशत प्रतिफल लिया गया है, किंतु भू-संपदा हस्तांतरित नहीं किया गया है, न ही आधिपत्य सौंपा गया है। अतः प्रकरण में कालसीमा का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
7. **विनिश्चय के बिंदु क्रमांक-03 के विनिश्चयन का आधार :-** अनावेदक द्वारा प्रकरण में यह स्वीकार किया गया है कि आवेदिका द्वारा लागत राशि 26,10,000/- रुपये के विरुद्ध 23,49,000/- रुपये का भुगतान किया गया है, अनावेदक द्वारा जवाब में एवं तर्क में यह आपत्ति की गई है कि आवेदिका द्वारा 05 किश्त में प्रति किश्त 4,69,800/- रुपये के मान से किश्तों की देय तिथि

क्रमांक	विवरण	किश्त देय तिथि	किश्त राशि
01.	प्रथम किश्त	29.11.2024	4,69,800 / -
02.	द्वितीय किश्त	28.02.2025	4,69,800 / -
03.	तृतीय किश्त	30.05.2025	4,69,800 / -
04.	चतुर्थ किश्त	29.08.2025	4,69,800 / -
05.	पंचम किश्त	28.11.2025	4,69,800 / -
		कुल राशि	23,49,000 / -

के मान से भुगतान करना था, किंतु आवेदिका द्वारा भवन क्रमांक-सीनियर एम.आई.जी.-12 के मद में भुगतान की गई किश्त राशि की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विवरण	भुगतान तिथि	जमा राशि
01.	प्रथम किश्त	19.11.2024	4,69,800 / –
02.	द्वितीय किश्त	03.03.2025	2,00,000 / –
		27.03.2025	2,69,800 / –
03.	तृतीय किश्त	29.05.2025	4,69,800 / –
04.	चतुर्थ किश्त	16.10.2025	4,69,800 / –
05.	पंचम किश्त	05.03.2026	1,69,800 / –
		12.05.2026	1,00,000 / –
		19.05.2026	2,00,000 / –
		कुल राशि	23,49,000 / –

चूँकि आवेदिका द्वारा निर्धारित समय-सीमा पर प्रतिफल का भुगतान नहीं किया गया एवं आवेदिका द्वारा दिनांक 31.01.2025 को आवेदित भू-संपदा सीनियर एम.आई.जी.-12 का नक्शा वास्तु सम्मत नहीं है, अतः भवन का फेस बदलकर निर्माण किया जाए उक्त आवेदन के आधार पर अनावेदक द्वारा भू-संपदा निर्माण में आंशिक परिवर्तन संशोधन किया गया। अनावेदक द्वारा आवेदिका को ब्याज राशि माफ करने के अनुरोध पर सीनियर एम.आई.जी.-12 की बकाया राशि पूर्व में आबंटन आदेश के अनुसार देय किश्त तिथियों को भवन के निर्माण कार्य की वास्तविक तिथि के आधार पर एवं प्रगति नहीं होने के कारण अनावेदक द्वारा दिनांक 19.06.2026 को देय किश्तों की तिथियों का पुनः निर्धारण किया गया, जिससे विलंबित ब्याज की अवधि एवं जी.एस.टी. स्वतः विलोपित हो गया है, अनावेदक के जवाब अनुसार अनावेदक के पत्र क्रमांक-1602 दिनांक 24.06.2026 के माध्यम से आवेदिका को सूचित करते हुए पुनर्निर्धारित तिथी निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-

क्रमांक	विवरण	किश्त देय तिथि	किश्त राशि
01.	प्रथम किश्त	30.04.2025	4,69,800 / –
02.	द्वितीय किश्त	31.07.2025	4,69,800 / –
03.	तृतीय किश्त	31.10.2025	4,69,800 / –
04.	चतुर्थ किश्त	30.04.2026	4,69,800 / –
05.	पंचम किश्त	30.06.2026	4,69,800 / –
		कुल राशि	23,49,000 / –

अनावेदक द्वारा जवाब एवं तर्क में यह भी स्वीकार किया गया है कि निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है, दो माह में भू-संपदा का हस्तांतरण अनावेदक द्वारा विधिवत् रजिस्ट्री करवाकर आवेदिका को कर दिया जाएगा। अनावेदक द्वारा स्वीकार किया गया है कि विलंबित अवधि का ब्याज एवं जीएसटी की राशि स्वतः शून्यवत् हो गया है।

आवेदिका द्वारा प्राधिकरण से वांछित अनुतोष में यही याचना की गई है। आवेदिका द्वारा क्षतिपूर्ति दिलाई जाने हेतु भी याचना की गई है। चूँकि आवेदिका के अनुरोध पर कतिपय संशोधन किया गया एवं पंचम किश्त का भुगतान दिनांक 19.05.2026 को ही किया गया है। इस प्रकार देय किश्त राशि का भुगतान करने में आवेदिका के द्वारा भी किंचित विलंब हुआ है। दोनों पक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से कोई अनुबंध निष्पादित नहीं किया गया है, जिसमें भू-संपदा निर्माण कर हस्तांतरण की स्पष्ट तिथि का उल्लेख हो। वर्तमान में वांछित अनुतोष का निराकरण अनावेदक द्वारा स्वमेव किया जा चुका है तथा देय किश्त भुगतान में किंचित विलंब होने के कारण आवेदिका के द्वारा भी त्रुटि हुई है व आवेदिका के निवास के लिए वैकल्पिक साधन उपलब्ध है, अस्तु क्षतिपूर्ति का अनुतोष प्रदान किए जाने हेतु कोई उपयुक्त आधार प्रतीत नहीं होता है। अनावेदक जवाब एवं तर्क में प्रस्तुत कथन के अनुरूप दो माह के भीतर निर्धारित स्पेशिफिकेशन के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण कर भू-संपदा का विधिवत् हस्तांतरण एवं आधिपत्य आवेदिका के पक्ष में करे।

8. समग्र विचारण पश्चात् प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है:—
- अनावेदक 60 दिवस के भीतर भू-संपदा सीनियर एम.आई.जी.-12 अटल विहार योजना, पोटियाडीह, धमतरी का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए भू-संपदा का विधिवत् हस्तांतरण मय आधिपत्य प्रमाण पत्र आवेदिका के पक्ष में करे।

सही /—
(धनंजय देवांगन)
सदस्य

सही /—
(संजय शुक्ला)
अध्यक्ष